

फर्द अहकाम

(विभाग 26)

जज अदालत उच्च न्यायालय शिकराय
 सरकार बनाम उच्च न्यायालय / सरकार
 किरम मुकदमा 5191 मु० नं० 73/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|-------------|---|--|
| 6-10-24 | डाका आवेदनवाली श्री चर्म सिंह बैरवा द्वारा पेश की गई कर तबली की जांच/वास्तु इन्जायनर तामील दि० 22-10-24 से पेश हो। | |
| 22-10-24 | पत्रावली पेशा वकील पार्थी उषा वकील पार्थी द्वारा बहम हेतु कहे जाने पर बहम सुनी गई। वकील पार्थी का तर्क रहा कि पुत्रगत ग्रामी में पार्थी का नाम पप्पू पुत्र रामसहाय बैरवा दर्ज है जो गलत है। पार्थी का सही नाम पुत्र से पार्थी का सही नाम उच्च न्यायालय पुत्र रामसहाय है। पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट सचिव उच्च न्यायालय के अवर क्लर्क का अवलोकन किया गया। अतः प्राप्तांक स्वीकार कर उक्त कालेंडा के ख.नं. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 एवं 18 में पार्थीका नाम पप्पू के स्थान पर पप्पू उर्फ प्रभूदयाल पुत्र रामसहाय दर्ज करने के आदेश लक्ष्मीबेदार सिंकराम को दिए जाते हैं। पत्रावली कैमल नुमांर होकर नम्बर से कम हो। | |

[Handwritten signature]